



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229905
CG-DL-E-23092021-229905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3617]
No. 3617]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASHWIN 1, 1943

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

का.आ. 3951(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 05 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3216 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में, "II. गैर-सरकारी विशेषज्ञ सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्या 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः-

"3. श्री मनोज कुमार, ए-4/39, सेक्टर- 16, विपणन अंशकालिक"
रोहिणी, नई दिल्ली- 110085

[फा.सं. ए-43013/2/2019-केवीआई-(II) (भाग-II)]

अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 3216 (अ), दिनांक 05 सितम्बर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तदनन्तर अधिसूचना संख्या का.आ 372 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 2021 और का.आ 3619 (अ), दिनांक 6 सितम्बर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

S.O. 3951(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 3216 (E), dated the 05th September, 2019 namely:-

In the said notification, under the heading “ **II. Non-official Expert Members**”, for serial numbers 3 and 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“3.	Shri Manoj Kumar, A-4/39, Sector-16, Rohini, New Delhi- 110 085	Marketing Part-time”.
-----	--	--------------------------

[F.No. A-43013/2/2019-KVI-(II) (Part-II)]

ALKA ARORA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(II) vide number S.O. 3216(E), dated the 5th September, 2019 and subsequently amended vide notification number S.O. 372 (E), dated the 27th January, 2021 and S.O. 3619 (E), dated the 6th September, 2021.